न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 885–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–9–2012 पारित द्वारा न्यायालय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण कमांक आर.एन. 01/1995/निगरानी

.....

शौकत खा आत्मज हाजी रूस्तम खॉ

निवासी तहसील पंधाना जिला खण्डवा म.प्र.

..... आवेदक

विरूद्ध

1–नूर मोहम्मद पिता हाजी गनी
2–अब्दुल गफफार पिता हाजी गनी
3–जीनत बी पति अब्दुल रसीद मृत द्वारा विधिक उत्तराधिकारी
(क) रजिया बानो पति अब्दुल
निवासी अब्दुल टेलर पुत्र इब्राहीम जी खत्री
निवासी ग्राम खिराला तहसील पंधाना जिला खण्डवा
(ख) जुबेदा पति मोहम्मद इकबाल
द्वारा मोहम्मद इकबाल पुत्र रहमानजी (टापा)
खिराला वाले थाना रोड बाबा बेकरी के पास
तहसील खण्डवा जिला पूवी निमाड म0प्र0
4–खातून बी पति अब्दुल रहमान मृत द्वारा विधिक उत्तराधिकारी
क–मोहम्मद हारून पिता अब्दुल रहमान
ख–मोहम्मद फारूक पिता अब्दुल रहमान
निवासी खत्री कॉलोनी खण्डवा म0प्र0
5–रजिया बानो पति युसूफ
निवासी खलवाडी मोहल्ला सेंधवा जिला खण्डवा म0प्र0
6–अख्तर पति उस्मान उर्फ इब्राहिम मृत द्वारा विधिक उत्तराधिकारी
क–बहाउद्दीन पिता इब्राहिम
निवासी कादरी खाडी निसालदार अखाडा,
मोमीनपुरा नागपुर महाराष्ट्र
7–हाजिरा पति मोहम्मद इकबाल मृत द्वारा विधिक उत्तराधिकार–
क–अब्दुल हक

ख–अब्दुल कादिर
ग–मोहम्मद यामिन बालिग पुत्रगण स्व.मोहम्मद इकबाल
ध–अब्दुल हामिद नाबालिग पुत्र स्व.मोहम्मद इकबाल
द्वारा संरक्षक भाई अब्दुल हक पुत्र स्व.मोहम्मद इकबाल
निवासीगण ग्राम खिराला, तहसील पंधाना,
जिला खण्डवा म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक

श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 31/1/18 को पारित)

यह पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 173/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 28–11–1994 से परिवेदित होकर इस न्यायालय के निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो इस न्यायालय में प्रकरण कमांक निगरानी 01/1995 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 5–9–2012 के द्वारा निगरानी अबेट होने से समाप्त की गई है जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से मृत अनावेदक कमांक 4 एवं 7 के विधिक उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लिये जाने हेतु दिनांक 15–4–1997 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभिलेख पर उपलब्ध ह, इसके बावजूद भी इस न्यायालय द्वारा निगरानी अबेट मानकर निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी

कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 के विधिक उत्तराधिकारी पूर्व से ही निगरानी प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के रूप में अभिलेख पर है, परन्तु इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को अनदेखा कर निगरानी अबेट मानकर निरस्त करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 एवं 4 लागू नहीं होते हैं और निगरानी अबेट नहीं की जा सकती है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से मृत अनावेदक कमांक 1, 4, 5, 7 व 8 के वारिसानों को अभिलेख पर लाने के लिये 90 दिवस की समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये इस न्यायालय द्वारा निगरानी अबेट होने से निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 एवं 4 के तहत मृत पक्षकार के वारिसानों को अभिलेख पर लाया जाता है, इसलिये उक्त प्रावधान इस प्रकरण पर लागू होंगे । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत उपलब्ध आधारों में से कोई आधार नहीं दर्शाया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1, 4, 5, 7 व 8 की मृत्यु हुई है, और उनके वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लाये जाने के कारण निगरानी अबेट होने से निरस्त की गई है, जबकि यदि प्रकरण में अन्य पक्षकार जीवित हों तो सम्पूर्ण प्रकरण अबेट नहीं किया जा सकता है, केवल मृत व्यक्तियों के विरूद्ध ही निगरानी अबेट हो सकती थी । इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि किये जाने से इस न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–2012 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर